(v) Need for declaring Sree Narayan Guru Deva Jayanti aud Samadhi days public holidays in Kerala

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara) : Sree Narayana Guru Deva Jayanthi and Samadhi days were public holidays in Kerala for State Government and also for Central Government. This was to enable the followers of the great saint and Guru to celebrate the birth anniversary and to worship him on the Samadhi day. But from 1983 onwards, these days are not included in the list of public holidays for Central Government Offices and institutions. Sree Narayana Guru was not only a saint, but also a great social reformer, who dedicated his life for the upliftment of the down-trodden in the society. He was above caste, creed, religion and he fought against all evils in the society. It is befitting and in accordance with the aspirations of the entire people of Kerala to declare Guru Deva's Jayanthi and Samadhi day as public holidays. I request the Central Government to include the above two days also in the list of public holidays.

(vi) Need for enforcing Multi-Unit Cooperative Society Act in the Country

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज) : उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से यह देखा गया है कि सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों को राजनैतिक कारणों से हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर सरकारी एवं गैरसरकारी लोगों को प्रशासक बना दिया जाता है। इस कारण समितियों की कार्यपद्धति में काफी गिरावट आई है। सहकारिता आंदोलन का सरकारीकरण हो रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से नामजद प्रशासक कार्यरत हैं जबकि नियमानुसार ये प्रशासक एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार इन समितियों के चुनाव की घोषणा कराई और मतदान तक हो गये, लेकिन मतगणना से पूर्व इन चुनावों को रद्द कर दिया गया। इस गिरावट को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों से सम्बद्ध लोगों द्वारा समय-समय पर मल्टी यूनिट कोआपरेटिव सोसाइटिज एक्ट, 1942 लागू करने की मांग बहुत पहले से भी होती रही है।

अतः इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश की समस्त सहकारी समितियों के शीघ्र चुनाव कराये जाएं और पूरे देश में सहकारी समितियों में एकरूपता लाने के लिये मल्टी सोसाइटीज कोआपरेटिव एक्ट लागू किया जाय। ऐसा करने से केन्द्र सरकार का निष्पक्ष, स्वच्छ एवं कठोर नियन्त्रण हो सकेगा।

(vii) Need to improve supply of LPG to Ujjain and Indore, Madhya Pradesh

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन)*: उपाध्यक्ष महोदय, देश में लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस भोजन बनाने का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माध्यम बन गया है। लाखों व्यक्तियों के नाम प्रतिक्षा सूची में गैस सिलेण्डर के लिए पंजीबद्ध हैं किन्तु तेल शोधक केन्द्रों में बड़ी मात्रा में यह गैस भण्डार क्षमता के अभाव में व्यर्थ हो रही है, जिससे जहां एक ओर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय कोष में करोड़ों रुपयों की क्षति हो रही है, वहीं आम उपभोक्ता गैस आपूर्ति से वंचित हो गया है। उपभोक्ताओं को प्रायः एक माह से डेढ़ माह तक "गैस सिलेण्डर" की पूर्ति नहीं की जा रही है। लकड़ी, कोयला केरोसिन तेल के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तरल पैट्रोलियम गैस की आपूर्ति की स्थिति को सुधारने तथा अधिक लोगों को गैस उपलब्ध कराई जाना चाहिए।

---

* The original speech was delivered in Sanskrit.

अतएव मेरा पैट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में भोजन बनाने की गैस प्रदाय में हो रहे विलम्ब समाप्त कर प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध करावें। साथ ही उज्जैन तथा इन्दौर में गैस प्रदाय की स्थिति में तत्काल सुधार करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

(viii) Need for preserving the culture of the Santhals

श्री शिबु सोरन (दुमका): उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1855 में संथाल परगना को विशेष अधिकार उपलब्ध है। राज्य सरकार ने बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1864 के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस जिले को चार भाग में बांट दिया है। इसी तरह रांची और सिंहभूम को भी क्रमशः तीन एवं दो जिलों में बांट दिया गया है। इस बंटवारे से तो जनजातियों को औद्योगिक क्षेत्र से एकदम अलग कर दिया गया है। बंटवारे के उपरान्त नये कानूनों के जरिये संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को भी निष्प्रभाव बना दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल राज्यपाल, राष्ट्रपति को अलग-अलग ढंग से विकास में हस्तक्षेप करने का अधिकार था जिसको विभाजन के बाद राज्य सरकार ने पंगु बना दिया है।

इस विभाजन के जरिए जन-जातियों के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परम्परा को नष्ट किया जा रहा है। संथाल जाति की कुछ विशेष परम्परायें हैं। इस विभाजन द्वारा संथाल जाति की सारी संस्कृति नष्ट होने की आशंका है।

जहां तक अनुसूचित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, संविधान के अनुसार भारत सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है। पंचम अनुसूची द्वारा भारत सरकार को उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यों को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों का तकाजा है कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे ताकि संथाल परगना की इन जन-जातियों की संस्कृति और विशेष स्वरूप पर कोई आंच न आये।

———

14.53 hrs.

JUTE MANUTACTURES CESS BILL —*Contd.*

AND

JUTE MANUFACTURES DEVELOPMENT COUNCIL BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Sangma on the 5th August, 1983, namely:

> "That the Bill to provide for the levy and collection, by way of cess, of a duty of excise on jute manufacturers for the development of production of jute manufacturers and for matters connected therewith, be taken into consideration."

We also now take up further consideration of the following motion moved by Shri P.A. Sangma on the 5th August, 1983, namely:

> "That the Bill to provide for the establishment of a Council for the development of production of jute manufactures by increasing the efficiency and productivity in the jute industry, the financing of activities for such development and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Now Shri Amar Roy Pradhan, and then Shri Rajagopal Naidu. We are very